राशनकार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया

राशनकार्ड जारी करने हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा– 30 दिवस

राशनकार्ड हेतु शुल्क – 1. प्राथमिकता, अंत्योदय, निराश्रित श्रेणी तथा निःशक्तजन राशनकार्ड के लिए निःशुल्क

2. सामान्य राशनकार्ड हेतु 10 रूपये

राशनकार्ड हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. प्राथमिकता एवं अंत्योदय के नवीन राशनकार्ड हेतु राशनकार्ड नियम, 2016 में संलग्न **प्रपत्र–01** में कलेक्टर द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. राशनकार्ड में नवीन सदस्यों के नाम जोड़ने अथवा उसके नाम किसी अन्य राशनकार्ड में अंतरित करने हेतु राशनकार्ड नियम 2016 के संलग्न **प्रपत्र 02** में कलेक्टर द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
3. सामान्य राशनकार्ड (एपीएल) हेतु विभागीय वेबसाईट में अपलोड सामान्य राशनकार्ड बनाने हेतु प्रपत्र में कलेक्टर द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
4. आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी, आवेदन तथा संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करेगा तथा दस्तावेज सही पाये जाने पर नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही अथवा आवेदन अनुसार राशनकार्ड में आवश्यक संशोधन, सदस्यों के अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।

राशनकार्ड हेतु आवदेन पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची –

- मुखिया का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
- बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
- निवास पते की पुष्टि हेतु आवेदक की सहमति से सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति या आधारकार्ड न होने की स्थिति में आधार पंजीयन कमांक के साथ संचालक द्वारा तय फोटो युक्त कोई एक परिचय पत्र जिसमें मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, किसान फोटो पासबुक की छायाप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र, इत्यादि शामिल है।

- **अंत्योदय राशनकार्ड हेतु निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज –**

1. विशेष कमजोर समूह के परिवार हेतु जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. परिवार जिसकी मुखिया विधवा/परित्यक्ता अथवा एकांकी महिला हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
3. परिवार जिसकी मुखिया गंभीर लाईलाज बीमारी से पीड़ित हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
4. परिवार जिसके मुखिया निःशक्तजन हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
5. परिवार जिसके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तथा जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है उनका निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति।
6. विमुक्त बंधुवा मजदूर हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
7. मुखिया के आवासहीन होने पर सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

- **प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज–**

1. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार, सीमान्त कृषक परिवार एवं लघु कृषक परिवार हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
2. असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत श्रमिक हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र।
3. सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीयन प्रमाण पत्र।

टीप :– राशनकार्ड आवेदन पत्र का प्रारूप खाद्य विभाग की वेबसाईट (URL : khadya.cg.nic.in) पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।